संख्या-118 /2018/1917/30-3-18-11बी/2018

प्रेषक,

विनोद कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 **लखनऊ दिनॉक 08 जून, 2018**

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये सारथी हॉल के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था के नामांकन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के पत्र संख्या-1170ए/2018-40ए/2018, दिनांक 22-05-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों यथा-सीतापुर, बागपत, फिरोजाबाद, औरैया एवं कानपुर देहाता में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये सारथी हॉल के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफेड) को एतदद्वारा कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है। कृपया इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने तथा निर्माण कार्य में समयबद्धता एवं गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

संख्या-118/2018/1917(1)/30-3-2018, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग।
3- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफेड)।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।